

28.06.2024:-पत्रावली पेशी में आई। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं हो रही है। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को बार बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वाद व प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद-पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर

एवं उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ़

